इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026–श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7041–117–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 9 OF 2026

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2026

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short Title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

Amendment of Section 75.

2. In section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop, colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument, upon which additional stamp duty is leviable under this section, in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, from the levy of such additional stamp duty."

Repeal and saving.

3.(1) The Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 1 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam. 1993 (No. 1 of 1994), there is a provision to levy additional stamp duty on certain instruments in Panchayat areas, over and above the stamp duty payable under the Indian Stamp Act, 1899.

2. In practice, it has been observed that this provision creates an additional financial liability during the execution and registration of various instruments in Panchayat areas. Keeping public interest, developmental requirements and Government policies in mind, it becomes necessary to grant an exemption from such additional stamp duty on these instruments. However, under the current Act, the State Government does not possess any explicit legal authority to grant such exemptions. Consequently, practical difficulties arise in the effective implementation of public welfare schemes and administrative decisions.

3. In these circumstances, it is felt that the Act should incorporate a power enabling the State Government to fully or partially exempt, via notification, those instruments from the additional stamp duty levied under sub-section (1) of Section 75, in the public interest.

4. As the matter was urgent and the Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 1 of 2026) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

5. Hence this Bill.

Bhopal:
Dated the 18th JULY, 2026

PRAHLAD SINGH PATEL
MEMBER-IN-CHARGE.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026–आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12588–मप्रविस–16–विधान–2026.– मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

धारा ७५ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (कमांक १ सन् १९९४) की धारा ७५ में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी लिखत को, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त इस धारा के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने से छूट प्रदान कर सकेगी.".

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक १ सन् २०२६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ की धारा ७५(१) के अधीन पंचायत क्षेत्रों में कतिपय लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अधीन देय स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है.

व्यवहार में यह अनुभव किया गया है कि उक्त प्रावधान के कारण पंचायत क्षेत्रों में निष्पादित विभिन्न लिखतों के निष्पादन एवं पंजीयन में अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता है. अनेक परिस्थितियों में लोकहित, विकासात्मक आवश्यकताओं अथवा शासन की नीतियों के अनुरूप ऐसे लिखतों को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करना अपेक्षित होता है, किन्तु वर्तमान अधिनियम में राज्य शासन को ऐसी छूट प्रदान करने का कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार उपलब्ध नहीं है. फलस्वरूप लोकहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णयों में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं.

उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह अनुभव किया गया था कि राज्य शासन को अधिसूचना द्वारा ऐसे लिखतों को, जिन पर धारा ७५ (१) के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, लोकहित में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की शक्ति अधिनियम में समाविष्ट की जाए. इस संशोधन से शासन परिस्थितियों के अनुरूप समयबद्ध निर्णय लेने में सक्षम होगा तथा लोकहित की योजनाओं के संचालन में सुधार होगा.

चूँकि उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक था तथा उस समय मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र आहूत नहीं था, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६" प्रख्यापित किया गया था.

अब जबकि मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र आहूत हो चुका है, संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) के प्रावधानों के अनुसार उक्त अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अधिनियमित किया जाना आवश्यक है, जिससे अध्यादेश द्वारा किए गए संशोधनों को स्थायी वैधानिक आधार प्राप्त हो सके तथा लोकहित में किए गए प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

प्रस्तावित विधेयक से राज्य शासन के राजस्व पर प्रभाव तो संभावित है किंतु लोकहित की दृष्टि से यह निर्णय लिया जाना विचारणीय है.

अतः उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०२६" विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतएव मूल अधिनियम की धारा ७५ की उपधारा (१) संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : १८ जुलाई, २०२६.

प्रहलाद सिंह पटेल
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ की धारा ७५ (१) के अधीन पंचायत क्षेत्रों में कतिपय लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अधीन देय स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है.

राज्य शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उक्त प्रावधान के कारण पंचायत क्षेत्रों में निष्पादित विभिन्न लिखतों के निष्पादन एवं पंजीयन में अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता है. अनेक परिस्थितियों में लोकहित, विकासात्मक आवश्यकताओं अथवा शासन की नीतियों के अनुरूप ऐसे लिखतों को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करना अपेक्षित होता है, किन्तु वर्तमान अधिनियम में राज्य शासन को ऐसी छूट प्रदान करने का कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार उपलब्ध नहीं है. फलस्वरूप लोकहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णयों में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं.

राज्य शासन को अधिसूचना द्वारा ऐसे लिखतों को, जिन पर धारा ७५ (१) के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, लोकहित में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की शक्ति अधिनियम में समाविष्ट की जाए.

चूँकि उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक था तथा उस समय मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र आहूत नहीं था, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६" प्रख्यापित किया गया था.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.